भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3913

सोमवार, 18 अगस्त, 2025 / 27 श्रावण, 1947 (शक)

ईएलआई योजनाएं

3913. श्री मनोज तिवारी:
श्री विजय बघेलः
श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः
श्री काली चरण सिंहः
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:
श्री दिलीप शइकीया:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री दिनेशभाई मकवाणाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के क्रम में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) एबीआरवाई के अंतर्गत कुल लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) ईएलआई योजना के अंतर्गत अनुमानित परिव्यय और कुल लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्रियान्वयन की क्या अवधि है;
(घ) उक्त योजना के सरकार पर वित्तीय प्रभाव का ब्यौरा क्या है;
(ङ) उक्त योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपे गए नोडल विभागों के नामों का ब्यौरा क्या है, और
(च) क्या सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए डिजिटल प्रणाली अवसंरचना स्थापित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): कोविड-19 महामारी के दौरान नए रोजगार सृजन और रोजगार के नुकसान की भरपाई हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अक्टूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) शुरू की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तारीख 31.03.2022 थी। 31.03.2022 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत पंजीकरण की तारीख से 2 वर्षों तक

लाभ मिलता रहा। 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार, 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा चुका है।

सरकार ने दिनांक 01.07.2025 को सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन में सहायता प्रदान करने, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का अनुमोदन किया है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इस योजना की पंजीकरण अवधि दिनांक 01.08.2025 से 31.07.2027 तक दो वर्षों की है और वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2031-32 तक की अवधि के लिए ₹ 99,446 करोड़ का बजटीय परिव्यय है। इस योजना के दो भाग हैं, भाग क और भाग ख, और यह प्रोत्साहनों के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इस योजना के भाग क के अंतर्गत 1.92 करोड़ नए पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन का प्रावधान है। योजना के भाग ख के अंतर्गत लगभग 2.59 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहन का प्रावधान है।

यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। ईपीएफओ एक आईटी प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। सभी नए कर्मचारियों (पहली बार वाले और दोबारा नौकरी पर आने वाले) को आधार के लिए यथाउपलब्ध बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधियों का उपयोग करके अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रमाणित करवाना अपेक्षित होगा। भुगतान एबीपीएस के माध्यम से कर्मचारी के आधार से जुड़े बैंक खातों और प्रतिष्ठान के पैन-लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

*****